

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

विभिन्न आवासीय योजनाओं में

पार्को को

निविदा पद्धति के माध्यम से लीज पर

संचालन हेतु दिए जाने के सम्बन्ध में,

नियम एवं शर्तों की विवरण पुस्तिका

मूल्य रुपये 500 /—

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पार्कों को संस्थाओं/व्यक्तियों को लीज पर दिये जाने हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें-

1. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सीलड निविदा आवेदन पत्र प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे सांयकाल तक प्राधिकरण सभाकक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में डाले जाएंगे। निविदा प्रपत्र एक लिफाफे में सम्पूर्ण प्रस्ताव होगा तथा वित्तीय दर होगी। प्राप्त निविदा आवेदन पत्र उसी दिन सांयकाल 2.30 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभाकक्ष में समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। प्राप्त सीलड निविदा आवेदन पत्रों में उल्लिखित दरों में से उच्चतम दर पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा कि वे सर्वोच्च निविदा आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं, तथा पुनः निविदा आवेदन पत्र आमन्त्रित कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को अपने निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तें संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तें संलग्न होना नहीं पाया जायेगा, उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक हो, तथा आयु 18 वर्ष से कम न हो।
3. निविदा आवेदनकर्ता फर्म/समिति/संस्था/कम्पनी को अपना पंजीकरण नम्बर भी देना होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति भी निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
4. निविदा आवेदनकर्ता को निविदा आवेदन पत्र के साथ रुपये 50,000/- (रु0 पचास हजार मात्र) धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में, मेरठ में देय हो, मूल रूप में संलग्न कर प्राधिकरण सभाकक्ष में रखे निविदा बॉक्स में नियत तिथि/समयावधि में डालना होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के बिना दिये गये निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा आवेदन पत्र में सभी विवरण सही-सही भरे जायें। अपूर्ण एवं सशर्त निविदा आवेदन पत्र तथा आरक्षित मूल्य के कम निविदा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। निविदा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना असत्य पाये जाने पर अनुरक्षण/संचालन हेतु दिया गया पत्र एवं अनुबन्ध निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. इच्छुक निविदा आवेदनकर्ता को निविदा आवेदन पत्र में प्रस्तावित धनराशि रिक्त स्थान के सम्मुख अंकित करनी होगी। इसके साथ ही हैसियत एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा छः माह के अन्दर निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अनुरक्षण/संचालन हेतु विज्ञापित पार्क का प्रयोग अनुमन्य क्रियाएँ (संलग्न) ही संचालित की जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम/धार्मिक कार्यक्रम/राजनैतिक सभाओं/रैली हेतु, जिनमें कानून व्यवस्था का प्रश्न निहित हो, अनुमन्य नहीं होंगे।
8. अनुबन्धकर्ता व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक तिमाही में यथानिर्धारित तिथि पर धनराशि रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) जमा करनी होगी।

आवेदक हस्ताक्षर.....

9. आवेदन के साथ रुपये 50,000 /— (रुपये पचास हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय हो जमा करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट के बिना दिए गए निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। कुल देयता के सापेक्ष अवशेष धनराशि निविदा आवेदन पत्र की स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि तक अवशेष धनराशि का भुगतान करके सूचित न करने पर दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा टोकन मनी / धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. जमानत धनराशि के रूप में रु0 1,00,000 /— की धनराशि सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम से देय पेय आर्डर / बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी, जो सम्पूर्ण अवधि के बाद समिति से कोई क्षति / टूट-फूट अथवा अन्य कोई देयता न होने की आख्या प्राप्त होने पर वापस की जा सकेगी तथा कोई क्षति / टूट-फूट अथवा अन्य कोई देयता पाये जाने पर जमानत धनराशि से कटौती करके अवशेष धनराशि वापस की जाएगी। संचालक को वार्षिक संचालन सम्बन्धी अनुबन्ध भी करना होगा, जिसका व्यय संचालक को स्वयं वहन करना होगा। आवेदक को पार्क का कब्जा, (कब्जा तिथि देय) पूर्ण भुगतान के बाद ही दिया जायेगा। यदि पार्क का उपयोग करने की अवधि पूर्ण होने पर रुपये 1,00,000 /— से अधिक की टूट-फूट होनी पायी जाती है या अन्य कोई देयता समिति द्वारा निर्धारित की जाती है तो निर्धारित धनराशि अनुबन्ध करता देने के लिये बाध्य होगा यदि अवशेष धनराशि जमा न करायी जाने की दशा में प्राधिकरण भू-राजस्व की भांति वसूलने के लिये स्वतन्त्र होगा।
11. निविदा आवेदन पत्र में प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर ही किसी व्यक्ति अथवा फर्म का अनुरक्षण / संचालन का अधिकार नहीं माना जाएगा। अनुरक्षण / संचालन का अधिकार उसी समय माना जाएगा जब सक्षम स्तर अर्थात् उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृति उपरान्त अनुरक्षण / संचालन हेतु पत्र जारी हो जाएगा तथा समस्त वांछित धनराशि समय से जमा करके समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए कब्जा दे दिया जाएगा।
12. अनुरक्षण / संचालन हेतु आफर प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित है। इसी प्रकार अनुरक्षण / संचालन हेतु आफर प्रक्रिया, आफर के पूर्व शर्तों को प्राधिकरण हित में संशोधित करने या कोई अन्य उपबन्ध प्राविधानित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
13. पार्क किसी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा जो संविधान सम्मत न हो तथा जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो या देशद्रोह की भावना व्यक्त होने की संभावना हो, जिससे भारतीय संस्कृति एवं एकता अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हो या किसी समुदाय की भावनाओं के आहत होने की संभावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।
14. पार्क में लगी हुई फिटिंग के अतिरिक्त बिजली / पानी के उपयोग हेतु विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन प्राप्त करना होगा, तथा पूर्व से उपलब्ध विद्युत कनेक्शन का भी व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा पार्क के विद्युत एवं जल संयोजन के नियमित बिलों का भुगतान संचालक द्वारा किया जाएगा।

15. पार्क में किसी भी कार्यक्रम/समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के असलहों (शस्त्रों) आदि से हर्ष फायरिंग प्रतिबन्धित होगी पार्क स्थल पर शस्त्रों/असलहों/धारदार हथियारों आदि, जिनसे क्षति पहुच सकती है, का उपयोग सर्वधा निषिद्ध होगी।
16. गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर सही तरीके से की जायेगी।
17. माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या-709/मुन्सरिम/व्यवस्था/वी0आई0/2007 दिनांक 09.08.2007 द्वारा एवं ध्वनि मानकों के संदर्भ में दिये गये निर्देशों के क्रम में पार्क में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। प्रत्येक विशिष्ट कार्यक्रम की जिला प्रशासन से अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी।
18. प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार को पार्क में प्रवेश शुल्क से लेकर अन्य सुविधाओं हेतु निर्धारित शुल्क, निःशुल्क रखकर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, (खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त)
19. आवेदकों को एक वर्ष की अवधि के दौरान बुकिंग के लिये ली जाने वाली अधिकतम किरायें की दर का उल्लेख स्वआंकलन के अनुसार करना होगा। इसके अतिरिक्त विभाजित फिक्स चार्जस भी अतिरिक्त रूप से देय होगा। कृपया निम्नलिखित तालिका में दर का उल्लेख करें-

पार्क	1.वार्षिक दर रुपये (अंको में)..... 2.रुपये (शब्दों में)..... 3.....योजना पार्क 4. क्षेत्रफलवर्ग मी0
-------	--

20. पार्क जहा है-जैसा है के आधार पर अनुक्षण/संचालन हेतु दिया जायेगा। संचालन करने वाली फर्म इनके ले-आउट एवं निर्माणों में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं करेगी, सफल आवेदक द्वारा किसी भी प्रस्ताव का, प्राधिकरण द्वारा गठित समिति से उसकी पूर्ण अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। पार्क में प्रवेश शुल्क व पार्किंग शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा। तथा पार्क के अन्दर आवेदक द्वारा विकसित/स्थापित की गयी सुविधाओं हेतु (खाद्य पदार्थों का छोडकर) शुल्क/दरों का अनुमोदन समिति से लिया जाना अनिवार्य होगा। समिति के सदस्य 1. सचिव (अध्यक्ष) 2. वित्त नियंत्रक, 3. मुख्य नगर नियोजक, 4.सम्पत्ति अधिकारी गैर आवासीय सम्पत्ति 5. अधीक्षण अभियन्ता 6. उद्यान अधिकारी होंगें। उक्त समिति शुल्को के पूनरीक्षण की भी सामीक्षा करगी।
21. पार्क विकसित/मेन्टन करने वाली संस्था को बिल्डिंग वाइ लॉज के अनुसार क्रियाओं को अनुमन्य किया जाना प्रास्तावित है। उपरोक्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु कुल पार्क एरिया का अधिकतम 2 प्रतिशत क्षेत्रफल आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के रूप में अनुमन्य होगा। जो कि ऐंगल/बाँस/शेड आदि से अस्थायी प्रवति का होगा।

(विस्तृत जानकारी सी.टी.पी/सम्पत्ति अधिकारी, (गैर आवासीय सम्पत्ति) से किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।)

आवेदक हस्ताक्षर.....

22. निविदादाता द्वारा सभी सुविधाएँ अस्थायी रूप से विकसित की जाएँगी, वे लीज़ अवधि के बाद प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी, जिसका प्राधिकरण कोई भी भुगतान उक्त के विकासकर्ता को नहीं करेगा। प्राधिकरण को निःशुल्क समस्त सुविधायें निविदादाता स्वहस्तान्तरित की जाएगी। विकसित की गयी समस्त सुविधाओं/क्रियाओं को अनुरक्षित करने का उत्तर दायित्व/निविदादाता का होगा तथा प्राधिकरण को हस्तान्तरण के दौरान समस्त सुविधाएँ संचालित रूप में ही उपलब्ध करायी जाएँगी।
23. कार्य संचालन की अवधि कब्जा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष है। उपर्युक्त तिथि तक पार्क का रख-रखाव निर्धारित शर्तों के अनुरूप उत्कृष्ट पाये जाने एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन न होने पर गठित समिति निरीक्षण कर तिथि सहित फोटोग्राफ पत्रावली पर रखते हुए अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी। तदनुसार पार्क का रख-रखाव एवं कार्य संचालन निर्धारित शर्तों के अनुरूप तथा सन्तोषजनक पाए जाने पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ प्रत्येक द्विवार्षिक अवधि हेतु समयवृद्धि पर विचार किया जायेगा। यद्यपि लीज़ अधिकतम 10 वर्षों के लिये है, किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि यह समय वृद्धि अन्तिम होगी और उसके पश्चात नए सिरे से विज्ञापित किया जायेगा।
24. यदि निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तब धरोहर राशि को जब्त करते हुए लीज़ को रद्द कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
25. सफल निविदादाता को जन सामान्य के सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
26. निर्धारित नियमों व शर्तों में परिवर्तन का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में निहित होगा, तथा किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
27. पार्कों में सुबह-शाम घूमने वालों तथा शाम को बच्चों को खेलने हेतु किसी प्रकार भी प्रतिबन्धित नहीं किया जायेगा तथा कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
28. आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट से डाउनलोड करने की दशा में आवेदन पत्र मूल्य रुपये 500/- का ड्राफ्ट उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

योजनावार पार्को का विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम ब्लॉक/सैक्टर का नाम	पार्क का क्षेत्रफल
रक्षापुरम आवासीय योजना		
1	रक्षापुरम योजना सैक्टर 1	8744.25 वर्ग मी०
2	रक्षापुरम योजना सैक्टर 1 1 टयूबवैल पार्क	1829 वर्ग मी०
3	रक्षापुरम योजना सैक्टर 3 पुरानी टंकी पार्क	4300 वर्ग मी०
4	रक्षापुरम योजना सैक्टर 3 नई टंकी वाला पार्क	2427 वर्ग मी०
5	रक्षापुरम योजना सैक्टर 4 जोनल पार्क	9471 वर्ग मी०
6	रक्षापुरम योजना सैक्टर 4 कल्ब पार्क	2673 वर्ग मी०
7	रक्षापुरम योजना सैक्टर 4 तिकोना पार्क	2230 वर्ग मी०
वेदव्यास पुरी आवासीय योजना		
1	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 2 ब्लॉक सी	3510 वर्ग मी० पार्क
2	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 2 ब्लॉक सी	4148 वर्ग मी० पार्क
3	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 2 ब्लॉक सी	2808 वर्ग मी० पार्क
4	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 2 ब्लॉक ,बी	3450 वर्ग मी०
5	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 2 ब्लाक-ए	1800 वर्ग मी०
6	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 2 ब्लाक-ए	3310 वर्ग मी०
7	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 1 पाकेट ए,बी,सी	5390 वर्ग मी०
8	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 1 ब्लाक-सी	2065 वर्ग मी०
9	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 1 ब्लाक-सी टयूबवैल	2367 वर्ग मी०
10	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 1 ब्लाक-बी	4331 वर्ग मी०
11	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 1 ब्लाक-ए	3525 वर्ग मी०
12	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 1 ब्लाक-सी० टंकी वाला	1500 वर्ग मी०
13	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 7 वेदव्यास पुरी एन्कलेव	1882 वर्ग मी०
14	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 7 वेदव्यास पुरी एन्कलेव	3228 वर्ग मी०
15	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 7 वेदव्यास पुरी एन्कलेव	2591 वर्ग मी०
16	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 7 वेदव्यास पुरी एन्कलेव	11623.76 वर्ग मी०
17	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 4बी	3324 वर्ग मी०
18	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 4बी	2058.84 वर्ग मी०
19	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 4बी	2163.28 वर्ग मी०
20	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर 4बी	3355.62 वर्ग मी०

आवेदक हस्ताक्षर.....

21	वेदव्यास पुरी योजना आयल डिपो के समाने	3916 वर्ग मी० पौन्ड सहित
22	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर-8 औद्योगिक क्षेत्र	1226 वर्ग मी०
23	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर-8 औद्योगिक क्षेत्र	2634.25 वर्ग मी०
24	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर-8 औद्योगिक क्षेत्र	7423.69 वर्ग मी०
25	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर-8 औद्योगिक क्षेत्र	3386.67 वर्ग मी०
26	वेदव्यास पुरी योजना सैक्टर-7 पाकेट-बी०	3086.66 वर्ग मी०
शताब्दी नगर आवासीय योजना		
1	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-1 पाकेट-ए	2875.00 वर्ग मी०
2	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-1 पाकेट-ए	1645.00 वर्ग मी०
3	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	7901.00 वर्ग मी०
4	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	2700.00 वर्ग मी०
5	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	2700.00 वर्ग मी०
6	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	2700.00 वर्ग मी०
7	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	1850.00 वर्ग मी०
8	शताब्दी नगर योजना पाकेट-ई	270.72 वर्ग मी०
9	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-2 पाकेट-ए	3240.00 वर्ग मी०
10	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-2 पाकेट-बी	2000.00 वर्ग मी०
11	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-3	2720.00 वर्ग मी०
12	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-3	3440.00 वर्ग मी०
13	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-3	3960.00 वर्ग मी०
14	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4बी	5250.00 वर्ग मी०
15	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-ए	4160.00 वर्ग मी०
16	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-बी	5120.00 वर्ग मी०
17	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी	5600.00 वर्ग मी०
18	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-सी	5780.00 वर्ग मी०
19	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-सी	2750.00 वर्ग मी०
20	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-सी	5900.00 वर्ग मी०
21	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-डी	8364.00 वर्ग मी०
22	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-4सी पाकेट-ई	4872.00 वर्ग मी०
23	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-5 पाकेट-ए	2220.00 वर्ग मी०
24	शताब्दी नगर योजना सैक्टर-5 पाकेट-ए	2133.00 वर्ग मी०
25	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	1850.00 वर्ग मी०

26	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	1850.00 वर्ग मी०
27	शताब्दी नगर योजना पाकेट-बी	3930.00 वर्ग मी०
28	शताब्दी नगर योजना पाकेट-सी	2775.00 वर्ग मी०
29	शताब्दी नगर योजना पाकेट-सी	2000.00 वर्ग मी०
30	शताब्दी नगर योजना पाकेट-सी	2775.00 वर्ग मी०
31	शताब्दी नगर योजना पाकेट-डी	1650.00 वर्ग मी०
32	शताब्दी नगर योजना पाकेट-डी	2358.00 वर्ग मी०
33	शताब्दी नगर योजना पाकेट-डी	2211.00 वर्ग मी०
श्रद्धापुरी फेस-2 आवासीय योजना		
1	श्रद्धापुरी योजना-2ब्लाक ई	1952.50 वर्ग मी०
2	श्रद्धापुरी योजना-2ब्लाक ई	2117.00 वर्ग मी०
डिफेन्स एन्कलेव आवासीय योजना		
1	डिफेन्स एन्कलेव ब्लाक सी	3900.00 वर्ग मी०
2	डिफेन्स एन्कलेव ब्लाक सी	1664.00 वर्ग मी०
3	डिफेन्स एन्कलेव ब्लाक सी	2650.00 वर्ग मी०
4	डिफेन्स एन्कलेव ब्लाक सी	5150.00 वर्ग मी०
लोहिया नगर आवासीय योजना		
1	लोहिया नगर योजना ब्लाक ए	7436.15 वर्ग मी०
2	लोहिया नगर योजना ब्लाक ए	1814.00 वर्ग मी०
3	लोहिया नगर योजना ब्लाक ए	2000.00 वर्ग मी०
4	लोहिया नगर योजना ब्लाक ए	2184.00 वर्ग मी०
5	लोहिया नगर योजना ब्लाक बी	1835.00 वर्ग मी०
6	लोहिया नगर योजना ब्लाक बी	2000.00 वर्ग मी०
7	लोहिया नगर योजना ब्लाक बी	1827.00 वर्ग मी०
8	लोहिया नगर योजना ब्लाक सी	2145.00 वर्ग मी०
9	लोहिया नगर योजना ब्लाक सी	2118.00 वर्ग मी०
10	लोहिया नगर योजना ब्लाक सी	3321.00 वर्ग मी०
11	लोहिया नगर योजना ब्लाक सी	1760.00 वर्ग मी०
12	लोहिया नगर योजना ब्लाक डी	4938.00 वर्ग मी०
13	लोहिया नगर योजना ब्लाक डी	1507.00 वर्ग मी०
14	लोहिया नगर योजना ब्लाक डी	6935.00 वर्ग मी०

15	लोहिया नगर योजना ब्लाक आई	1755.00 वर्ग मी०
16	लोहिया नगर योजना ब्लाक आई	5652.00 वर्ग मी०
17	लोहिया नगर योजना ब्लाक आई	1534.00 वर्ग मी०
18	लोहिया नगर योजना ब्लाक आई	1504.00 वर्ग मी०
19	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	2688.00 वर्ग मी०
20	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	1750.00 वर्ग मी०
21	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	2000.00 वर्ग मी०
22	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	2000.00 वर्ग मी०
23	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	2400.00 वर्ग मी०
24	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	1584.00 वर्ग मी०
25	लोहिया नगर योजना ब्लाक एम	1800.00 वर्ग मी०
26	लोहिया नगर योजना ब्लाक के	2916.00 वर्ग मी०
27	लोहिया नगर योजना ब्लाक के	1800.00 वर्ग मी०
28	लोहिया नगर योजना ब्लाक एल	2775.00 वर्ग मी०
29	लोहिया नगर योजना ब्लाक एल	2592.00 वर्ग मी०
30	लोहिया नगर योजना ब्लाक एल	2592.00 वर्ग मी०
31	लोहिया नगर योजना ब्लाक एल	2205.00 वर्ग मी०
32	लोहिया नगर योजना ब्लाक—सी (बी०एस०यू०पी०)	1505.00 वर्ग मी०
33	लोहिया नगर योजना ब्लाक—ई	8056.00 वर्ग मी०
34	लोहिया नगर योजना ब्लाक—एफ	3070.00 वर्ग मी०
35	लोहिया नगर योजना ब्लाक—एफ	2542.00 वर्ग मी०
36	लोहिया नगर योजना ब्लाक—एफ बुनकर	1712.00 वर्ग मी०
गंगानगर आवासीय योजना		
1	गंगा नगर योजना पाकेट—बी	4323.00 वर्ग मी०
2	गंगा नगर योजना पाकेट—सी	12000.00 वर्ग मी०
3	गंगा नगर योजना पाकेट—के	5495.00 वर्ग मी०
4	गंगा नगर योजना पाकेट—के	16628.00 वर्ग मी०
5	गंगा नगर योजना पाकेट—जे	2500.00 वर्ग मी०
6	गंगा नगर योजना पाकेट—जे	2500.00 वर्ग मी०
7	गंगा नगर योजना पाकेट—एल	2400.00 वर्ग मी०
8	गंगा नगर योजना पाकेट—एल	1870.00 वर्ग मी०
9	गंगा नगर योजना पाकेट—एल	3297.00 वर्ग मी०

10	गंगा नगर योजना पाकेट-एम	1600.00 वर्ग मी०
11	गंगा नगर योजना पाकेट-एम	1785.00 वर्ग मी०
12	गंगा नगर योजना पाकेट-एम	1645.00 वर्ग मी०
13	गंगा नगर योजना पाकेट-ओ	2048.00 वर्ग मी०
14	गंगा नगर योजना पाकेट-पी	2070.00 वर्ग मी०
15	गंगा नगर योजना पाकेट-पी	3400.00 वर्ग मी०
16	गंगा नगर योजना पाकेट-पी	4949.00 वर्ग मी०
17	गंगा नगर योजना पाकेट-पी	2640.00 वर्ग मी०
18	गंगा नगर योजना गंगा एन्क्लेव-1	4323.00 वर्ग मी०
19	गंगा नगर योजना गंगा एन्क्लेव-1	475.00 वर्ग मी०
20	गंगा नगर योजना गंगा एन्क्लेव-2	2610.00 वर्ग मी०

आवेदक हस्ताक्षर.....

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पार्क का अनुरक्षण/संचालन हेतु रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ पंजीकृत
फर्म/कम्पनी/समिति/संस्थाओं/व्यक्तियों को दिये जाने के सम्बन्ध में

निविदा आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :-
 2. पिता/पति का नाम :-
 3. उम्र :-
 4. स्थायी पता :- दूरभाष सं०
 5. पत्र व्यवहार का पता :-
 6. आवेदक का बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम
(यदि आवेदनकर्ता फर्म, समिति, संस्था या कम्पनी है तो पंजीकरण प्रमाण व मैमोरेण्डम की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।) पंजीकरण संख्या
 7. हैसियत प्रमाण पत्र :-
 8. चरित्र प्रमाण-पत्र:-.....
 9. धरोहर राशि अंकन रुपये का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर की संख्या व दिनांक बैंक का नाम
 10. आवेदनकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु धनराशि जिस पर पार्क को लीज पर लेने का इच्छुक है, कृपया उल्लेख करें धनराशि रुपये
(प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तों का निविदा आवेदनकर्ता ने अध्ययन कर लिया गया है जो मान्य है तथा जिसकी हस्ताक्षरयुक्त प्रति संलग्न है।)
- आवेदन की तिथि.....

vkouudrk
dk
Loiekf.kr
QkVxkQ

आवेदक हस्ताक्षर.....